फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 01/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/1) **किशनसिंह उर्फ किशन बनाम तहसीलदार, बड़ी सादड़ी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2022	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 2. श्री अंकुश मेहता - वकील प्रत्यर्थी-2 **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी, बप्रकरण संख्या राजस्व/2015/एसपीएल निर्णय दिनांक 16.06.2015** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.12.2022 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी, बप्रकरण संख्या राजस्व/2015/एसपीएल निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • तहसीलदार, बड़ी सादड़ी द्वारा लोक अदालत अभियान, 2015, न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोड़ी खुर्द पटवार हल्का पारसोली के आराजी नम्बर 54 रकबा 1.13 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि में जमाबंदी अनुसार संवत् 2016-19 में किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज किया हुआ है, जिसे वर्तमान जमाबंदी संख्या 2068-71 में आराजी संख्या 66 में किस्म बीड-2 दर्ज किया गया है, इसलिए आराजी नम्बर 66 के किस्म बीड-2 0.2800 हैक्टेयर व मसान 0.08 दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2015 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्ब जांच रिपोर्ट तहसीलदार बड़ी सादड़ी की अनुशंषा के आधार पर ग्राम खेडीखुर्द की आराजी संख्या 66 रकबा 0.3600 हैक्टेयर भूमि में बीड-ा 0.2800 व मसान 0.08 हैक्टेयर दर्ज किये जाने के निर्देश प्रसारित किये। उक्त निर्णय दिनांक 16.06.2015 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील दिनांक 30.12.2021 को मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की। उक्त अपील क्षेत्राधिकार के अभाव में अपीलार्थी को पुनः लौटा दी गई। तत्पश्चात उक्त अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 18.01.2022 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 23.11.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-1 व 2 उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 01/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/1) **किशनसिंह उर्फ किशन बनाम तहसीलदार, बड़ी सादड़ी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-3 से 21 तक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा ग्राम खेड़ीखुर्द की आराजी संख्या 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि श्मशान भूमि हेतु बिना खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट को पक्षकार बनाये, बिना सुने लोक अदालत अभियान में रख कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से अपील धारा-96 जादी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत के अधीन गावों की श्मशान भूमि का अधिकार होता है। ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार से जरिये जिला कलक्टर मांग करने पर सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने के बाद जांच जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा होने पर भूमि आवंटन होने पर रेकर्ड में अमलदरामद होने पर ही मौके पर कब्जा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदान कर एक दिन में निर्णय पारित कर दिया जो अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं होने से जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावें। **प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि** ग्राम खोड़ी खुर्द पटवार हल्का पारसोली के आराजी नम्बर 54 रकबा 1.13 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि में जमाबंदी अनुसार संवत् 2016-19 में किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज किया हुआ है, जिसे वर्तमान जमाबंदी संख्या 2068-71 में आराजी संख्या 66 में किस्म बीड-2 दर्ज किया गया जो बिना किसी सक्षम आदेश के किया गया। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः आराजी नम्बर 66 के किस्म बीड-2 0.2800 हैक्टेयर व मसान 0.08 दर्ज करने का आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधिक है। उक्त भूमि आरंभ से ही मसान के लिये उपयोग में आ रही है, जिस पर अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे में उसे अपील पेश करने का भी अधिकार नहीं है। अपील मयाद बाधित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। **प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजकीय पेरोकार की बहस का समर्थन करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि** ग्राम खोड़ी खुर्द पटवार हल्का पारसोली के आराजी नम्बर 54 रकबा 1.13 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि में जमाबंदी अनुसार संवत् 2016-19 में किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज किया हुआ है, जिसे वर्तमान जमाबंदी संख्या 2068-71 में आराजी संख्या 66 में किस्म बीड-2 दर्ज किया गया जो बिना किसी सक्षम आदेश के किया गया। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः आराजी नम्बर 66 के किस्म बीड-2 0.2800 हैक्टेयर व मसान 0.08 दर्ज करने का आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधिक है। उक्त भूमि आरंभ से ही मसान के लिये उपयोग में आ रही है, जिस पर अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे में उसे अपील पेश करने का भी अधिकार नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में भी उक्त भूमि के श्मशान में उपयोग लेने के कथन किये गये है। अपील मयाद बाधित है, जो इस बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 01/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/1) **किशनसिंह उर्फ किशन बनाम तहसीलदार, बड़ी सादड़ी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है और न्यायहित हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2016-2019 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि साबिक आराजी संख्या 54 रकबा 1.13 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि में किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज किया हुआ, जो आगे भी जारी रही। परन्तु वर्तमान जमाबंदी संख्या 2068-71 में आराजी संख्या 66 में किस्म बीड-2 दर्ज किया गया। उक्त गलत इन्द्राज के सुधार के संबंध में ग्रामवासियान द्वारा तहसीलदार बडी सादड़ी समक्ष परिवाद/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ''ग्राम खेडीखुर्द साबिक जमाबंदी के खसरा नम्बर 54 खातेदारी रकबा 1.13 बीघा किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज स्थित जमाबंदी 2016-19 में दर्ज है। हाल जमाबंदी नवीन भू-प्रबन्ध खसरा नम्बर 66 रकबा 0.36 किस्म बीड-ा 0.36 अंकित किया हुआ है, मौके पर 0.08 श्मशान उक्त आराजी में स्थित होकर मौके पर उपयोग हो रहा है, स्पष्ट है कि भूर्मि वर्गीकरण में हाल जमाबंदी में 0.08 श्मशान हटा दिया गया है, अतः रिकार्ड में वांछित शुद्वि बाबत रिपोर्ट आदेशार्थ मय राजस्व रेकर्ड प्रेषित है।'' उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा अपनी अनुशंषा के रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बडी सादड़ी को प्रेषित की जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 16.06.2015 से वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया, जिस पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अभिलेख से यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि आराजी नम्बर 54 रकबा 1.13 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 66 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि में जमाबंदी अनुसार संवत् 2016-19 में किस्म बीड-ा 1.05 मसान 0.08 दर्ज की हुई थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार 0.08 मौके पर श्मशान होकर उपयोग में ली जा रही है। अभिलेखों अनुसार कही भी यह नहीं पाया गया है कि वर्तमान जमाबंदी में मसान का अंकन किस सक्षम आदेश से हटाया गया जबकि राजस्व अभिलेखों में किए गए इन्द्राज बिना समक्ष आदेश की परिवर्तित नहीं किये जा सकते है। नियमानुसार पूर्व में दर्ज इन्द्राज को ही यथावत रखे जाने का प्रावधान है, जब तक कि विधिवत् रूप से इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं कर दिया जावे या जब तक सक्षम आदेश जारी न हो। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि के 0.08 भाग को मसान हटाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बीड-ा दर्ज किये जाने से यह त्रुटि लिपिकीय ही प्रतीत होती है, जिसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अन्तर्गत ही दुरूस्त किया जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

"136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 01/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/1) **किशनसिंह उर्फ किशन बनाम तहसीलदार, बड़ी सादड़ी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा **राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दोरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है।** पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादड़ी द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जांच की कार्यवाही की गई। प्रकरण में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा जांच के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादड़ी के द्वारा प्रकरण में दुरूस्ती का आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु इस अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेश में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर